2023/50

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान ...... रामेश्वर दयाल ...... बनाम ...... महेश ......

किस्म मुकदमा ...... धारा - 223 ...... अकील संख्या ...... 2023/50 ......

17.3

अभिभाषक अपीलान्ट ...... श्री शोभित शर्मा ...... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ...... श्री विधाशंकर गोस्वामी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.5.24	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट एवं अभि० अपीलांट को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलांट पूर्व में भी बहस हेतु दि. 15.4.24 एवं दिनांक 13.5.24 को अनुपस्थित रहे है। पत्रावली अभि. अपीलांट की जवाब बहस हेतु जेरकार है। अतः अपीलांट एवं अभि० अपीलांट के अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कोस शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

Reader
Presented by Advocate, Sharma
Submit
Examine & Report
22/3/2023

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रामेश्वर दयाल, आत्मज स्व. देवीलाल जी, उम्र 86 वर्ष, निवासी 2-द-5 दादाबाड़ी, कोटा

बनाम

1. महेश, आत्मज मोहनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी 4-एफ-11, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा
2. शम्भू दयाल, आत्मज मोहनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी 4-एफ-11, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा
3. सुरेश, आत्मज मोहनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी नगर पालिका, बारां
4. कस्तूरीबाई, बेवा मोहनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी 4-एफ-11, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा (मृतक)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

नोटः- respondent क्रम 4, respondent 1 लगायत 3 की माता है जिनका देहांत दौराने वाद हो चुका है एवं उनके वारिसान पहले से ही दावे में respondents no. 1 लगायत 3 के रूप में पक्षकार हैं इसलिये respondents 1 लगायत 3 द्वारा respondent no.4 का नाम दावे से डिलीट नहीं करवाया गया है इसलिए respondent no.4 की तलवी कराया जाना आवश्यक नहीं है।

अपील विरुद्ध उपखंड अधिकारी, बारां, द्वारा प्रकरण संख्या 177/14 दिए गए अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 31-10-2022 अंतर्गत धारा 223 ऑफ़ राजस्थान टेनेंसी एक्ट